# नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2019

सा.का.नि.210.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध व्यायाम शिक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में व्यायाम शिक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (व्यायाम शिक्षक), भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या अचयन	सीधी भर्ती किए
			स्तर	पद	जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
					11117 5113 (1111
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यायाम शिक्षक	1(एक)* (2019)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता ।	18-25 वर्ष के बीच
	   *कार्यभार के आधार	सेवा, समूह 'ग',	स्तर-5 (29200-		
	पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित,	92300 रु.)		
	जा सकता है ।	अननुसचिवीय			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
व्यायाम शिक्षा में स्नातक की डिग्री	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती
या  किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा सिहत व्यायाम शिक्षा पाठ्यक्रम में दो वर्ष का डिप्लोमा और केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी अस्पताल या संस्थान या संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था से व्यायाम शिक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता
	1. उप प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और	
	श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष	
	2. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य	
	3. उप निदेशक(प्रशासन),स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	

[ फा. सं.ए. 11018/20/2016-एमएच-II] जी.पी. सामंत, अवर सचिव

### New Delhi, the 9th July, 2019

G.S.R.210.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981,in so far they relate to the post of Physical Instructor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Physical Instructor, in Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Physical Instructor), Recruitment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- **2. Number of post, classification, level in pay matrix.** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
    - shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruits
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Physical	1(One)* (2019)	General Central	Level 5 in the	Not applicable.	Between 18 and
Instructor	*Subject to	Service, Group	pay matrix (Rs.		25 years
	variation	'C', Non-	29200-92300).		
	dependent on	Gazetted, Non-			
	workload.	Ministerial.			

Educational and other	Whether age and educational	Period of	Method of recruitment, whether by	
qualifications required for	qualifications prescribed for	probation,	direct recruitment or by promotion or	
direct recruits	direct recruits will apply in	if any	by deputation /absorption and	
	the case of promotees.		percentage of the vacancies to be filled	
			by various methods	
(7)	(8)	(9)	(10)	
Bachelor Degree in Physical	Not applicable	Two years	Direct Recruitment	
Education				
Or				
12 <sup>th</sup> Class from a recognised				
Board with two years				
Diploma in Physical				
Education Course and one				
year of experience as				
Physical Educator from				
Central or state Government				
or Union Territories				
administration or autonomous				
or statutory Hospital or				
Institute or Organisations or				
Public Sector Undertaking or				
University or recognised				
Research Institution.				

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
be made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering	Not applicable.
	confirmation ) consisting of : -	
	1.Vice Principal, the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital - Chairman;	
	2.Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical	
	College - Member;	
	3.Deputy Director Administration ,Directorate General of	
	Health Services - Member.	

[F. No. A.11018/20/2016-MH-II] G.P. SAMANTA, Under Secy.

### नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2019

- **सा.का.नि. 211.** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली (वार्डन) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में वार्डन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-
- 1. संक्रिस नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली, वार्डन, (ग्रूप 'ग' पद ) भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .** भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता .—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- **5. शिथिल करने की शक्ति .** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति .**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।